08-12-16

राज्य द्वारा ए डी पी ओ उपस्थित।

अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री आर०पी० गुर्जर द्वारा हाजिरीमाफी आवेदन पेश, बाद विचार स्वीकार।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है।

साक्षी नवीन श्रीवास्तव उप0।

फरियादी / आहत नवीन श्रीवास्तव की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 द0प्र0स0 राजीनामा हेतु अनुमित बाबत् मय राजीनामा हेतु अनुमित आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320—2 फरियादी के हस्ताक्षर, छायाचित्र युक्त, पहचान संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री बी0एस0 गुर्जर द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ—लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है। फरियादी का राजीनामा कथन उसके निवेदन पर अंकित कराया गया ।

अभियुक्तगण पर भा०द०वि० की धारा 294, 323 विकल्प में 323/34, 506 भाग—2 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जिसमे से धारा 294, 506 बी न्यायालय की अनुमित से शमनीय है जबिक शेष स्वयं फरियादी द्वारा शमनीय है। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमित आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 294, 323 विकल्प में 323/34, 506 भाग—2 भा0द0वि0 के अपराध आरोपों से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

प्रकरण मे जप्त शुदा संपत्ति नही है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख मे दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में प्रेषित हो। सही/-

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)